>

Title: Need to pass the SC/ST (Reservation in Post and Services) Bill, 2008 in Lok Sabha.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने दलित, आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। एस.सी./एस.टी. (रिजर्वेशन इन पोस्ट एण्ड सर्विसेज) बिल राज्य सभा द्वारा वर्ष 2008 में पास किया गया था और लोक सभा में अभी तक पास नहीं हो सका है। वर्ष 2008 में ही लोक सभा में यह बिल पेश हुआ लेकिन यह महसूस किया गया कि इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। इस पर आम सहमति हुई, चर्चा हुई, कार्मिक विभाग की सहमति हुई, न्याय विभाग की सहमति हुई लेकिन अभी तक इसको लोक सभा में विचारार्थ पेश नहीं किया जा सका है ताकि यह पास हो सके। इस समाज से जुड़े हुए लोक सभा और राज्य सभा के जितने सांसद हैं, वे प्रधानमंत्री जी से मिले, राज्य मंत्री नारायणसामी जी से मिले लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

संविधान में दलित, आदिवासी समाज के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। छुआछूत को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रावधान है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट वर्ष 1955 में बना। आगे चलकर शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रौसिटीज) एक्ट वर्ष 1989 में बना। अब उस में भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उसका प्रस्ताव मंत्रालय के द्वारा अभी लाया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टीकल 16 में नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें प्रावधान के साथ-साथ संविधान में पहला संशोधन 1951 में जो हुआ, वह भी इस समाज को शिक्षा और बाकी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण देने के संबंध में था। लेकिन नौकरी के आरक्षण का प्रावधान केवल प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से होता है, कोई कानून नहीं है। यह महसूस किया गया कि इसमें कानून होना चाहिए, कानून न होने की वजह से अनेक भ्रांतियां हैं। जिसकी वजह से न्यायालय ने अनेक प्रकार के आदेश दिए हैं और जिसकी वजह से यह आवश्यकता महसूस की गई है, यह बिल लाया गया है। लेकिन छ: बार संविधान में संशोधन होना पड़ा, क्योंकि न्यायालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए हैं। दलित समाज ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि कानून बनाने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कानून बनना चाहिए ताकि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि क्या-क्या प्रावधान, किस-किस तरह से प्रोसिज़र होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण एससीएसटी रिजर्वेशन पोस्ट्स एंड सर्विसेज़, जो राज्य सभा द्वारा सन् 2008 में पास किया जा चुका है, वह तत्काल लोक सभा में पेश हो और इसको पास कराया जाए। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से भी इसका अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदया: अपने को जो एसोसिएट कर रहे हैं, वे अपने नाम सदन के पटल पर भेज दें।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया:

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा,

श्री सोहन पोटाई,

श्री कमल किशोर,

श्री पी.के. बिजू,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

सुश्री जे. शांता,

श्री अर्जुन मेघवाल,

श्री पोन्नम प्रभाकर,

श्री पी. लिंगम,

श्री मधु गौड यास्की,

श्री रघुवीर सिंह मीणा,

श्री हरीश चौधरी,

श्री मोहिन्दर सिंह के.पी.,

श्री मधु कोड़ा,

डॉ. प्रभा किशोर तावियाड़,

श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह,

श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी,

श्री विन्सेंट एच. पाला,

श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल,

श्री राजाराम पाल,

श्री भरत राम मेघवाल,

श्री रतन सिंह,

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद,

श्री भूदेव चौधरी,

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी,

श्री आर, ध्रुव नारायण श्री पी.एल. पुनिया जी द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।